प्रेस विज्ञप्ति
09.05.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, दिल्ली जोनल कार्यालय ने07 .05. 2024को दिल्ली और एनसीआर में मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड) एसआरएमजेपीएल(, मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड) जीजीपीएल(, अशोक गोयल , प्रदीप गोयल ,प्रवीण कुमार गुप्ता] प्रमोटर्स/निदेशक[तथा उन व्यक्तियों से जुड़ी कई फर्जी कंपनियों से संबंधित 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने मेसर्स एसआरएमजेपीएल और मेसर्स जीजीपीएल और उनके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई ,नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर के अनुसार ,मेसर्स एसआरएमजेपीएल और मेसर्स जीजीपीएल ,]सोने और हीरे जड़ित आभूषणों के निर्माण और व्यापार में लगे हुए [ने बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंक संघ से क्रमशः 125करोड़ रुपये व 45 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। मेसर्स श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और समूह कंपनियों के खिलाफ बैंकों से लगभग 232 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप संबंधी कई एफआईआर दर्ज हैं ।

ईडी की जांच से पता चला कि उक्त इकाई/प्रमोटरों/निदेशकों ने बैंक फंड को उक्त इकाई के व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया ,जैसे कि व्यक्तिगत नामों से अचल संपत्ति/रियल एस्टेट में निवेश। शेल संस्थाओं को कथित बिक्री दिखाकर बैंक ऋण में गिरवी रखे गए स्टॉक को भी निकाल लिया गया ताकि बैंक के बकाया की वसूली के लिए वह उपलब्ध न हो सके। शेल संस्थाओं की जांच से पता चलता है कि या तो वे अस्तित्व में ही नहीं हैं या बुक्स में दावा किया गया लेनदेन नहीं किया गया है। कुछ संस्थाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रमोटर्स के अनुरोध पर प्रविष्टियाँ प्रदान की हैं। उक्त फर्जी संस्थाओं में से कुछ का संचालन मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों/निदेशकों के रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है। जांच से यह भी पता चला है कि मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी में प्रमोटरों द्वारा किए गए निवेश का बड़ा हिस्सा भी शामिल है। उनके रिश्तेदारों द्वारा संचालित एक शेल इकाई के माध्यम से और अज्ञात स्रोतों के माध्यम से स्पष्ट रूप से बैंक के डायवर्ट किए गए धन को भेजा गया था। जांच से यह भी पता चला है कि प्रमोटर बैंकों/प्रवर्तन एजेंसियों को बैंकों को देय ऋण राशि की वसूली से रोकने के लिए फर्जी संस्थाओं/डमी निदेशकों के माध्यम से संपत्ति/धन रख रहे हैं।

ईडी ने मेसर्स गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में21 -01- 2024को दिल्ली के करोल बाग में वाणिज्यिक दुकानों के रूप में4 . 34करोड़ रुपये) लगभग (की संपत्ति कुर्क की थी । ईडी ने11 -04- 2023को उक्त प्रमोटरों और समूह संस्थाओं के खिलाफ तलाशी अभियान भी चलाया था और विभिन्न अपराध-संकेती सबूत जब्त किए थे।

07-05- 2024को चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान ,20.50 लाख रुपये की नकदी , 5 हाई एंड लग्जरी कारें]मर्सिडीज/बीएमडब्लू [जिनका अधिग्रहण मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपये है और प्रमोटरों द्वारा फर्जी संस्थाओं/व्यक्तियों के नाम पर रखे गए 1 करोड़ रुपये के एफडी ,प्रमोटरों द्वारा कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से रखे गए परिसंपत्तियों/बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच जारी है।